अधिसूचना

संoसंo 9/आo–1–14/2011 .... दिनांक :–...................... । डाo अशोक कुमार तत्कालीन प्रभारी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, पीoएमoसीoएचo, पटना के विरूद्ध सिविल सर्जन नालंदा के पत्रांक–1406, दिनांक 11.04.11 द्वारा पल्स पोलिया पर्यवेक्षण कार्य नहीं करने, अपने पदस्थापन स्थान (मुख्यालय) में नहीं रहने, परिवार कल्याण Accradiation को जाँच नहीं करने, दिनांक 16.03.11 एवं 22.03.11 को आवेदन पत्र डाक से भेजकर अनुपस्थित रहने तथा दिनांक 25.03.11 को जिला पदाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने आदि आरोप प्रतिवेदित किए गए। विभागीय पत्रांक–711(9) दिनांक 09.08.11 द्वारा डाo अशोक कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। दिनांक 22.06.12 को विभाग को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में डाo अशोक कुमार ने लिखा है कि वे निदेशक प्रमुख, स्वाo सेवाएं, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–146 दिनांक 09.03.11 के आलोक में बैठक एवं प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने हेतु दिनांक 13–15 मार्च, 2011 तक होटल चाणक्या, पटना में उपस्थित थे। बैठक से लौटने के क्रम में अस्वस्थ होने के कारण उपचार हेतु वे पीoएमoसीoएचo, पटना चले गए, जिसकी सूचना उन्होने सिविल सर्जन, नालंदा को दूरभाष एवं निबंधित डाक द्वारा दिया। डाo अशोक कुमार के स्पष्टीकरण पर सिविल सर्जन, नालंदा से मंतव्य प्राप्त किया गया तथा समीक्षोपरांत डाo अशोक कुमार, तत्कालीन प्रभारी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, पीoएमoसीoएचo को चेतावनी का दंड देते हुए सिविल सर्जन, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1114 (9) दिनांकः– 31/12/2015

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेoहo) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, नालंदा/प्राचार्य/अधीक्षक, पीoएमoसीoएचo, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डाo डाo अशोक कुमार तत्कालीन प्रभारी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, पीoएमoसीoएचo, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माo मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 17 एवं 18 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव